



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1947 (श10)

(सं० पटना 63) पटना, सोमवार, 19 जनवरी 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2026

सं० 02/17-01/2025, परि० 348—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 30 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-30 के उपनियम-1(iv) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।—

- (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-30 के उपनियम-1(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(iv) वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आँठवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राज कुमार,
सरकार के सचिव।

The 16th January 2026

No. 02/17-01/2025, Trans. 348—In exercise of the powers conferred by sub section-1 of Section-30 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the sub rule-1(iv) of Rule-30 of The Bihar Motor Vehicle Rules, 1992.

1.Short title, extent & commencement.-

- (1) These Rule may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) This notification shall come into force after 05 working days from the date of its publication in the Bihar Gazette.

2. Sub rule-1(iv) of rule-30 of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 shall be substituted by the following :-

“ (iv)- He/She must have passed the eighth class from a recognised school.”

By order of the Governor of Bihar,

Raj Kumar,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>